न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी– सुनीता चौधरी . आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 380/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. आईदान राम पुत्र रामूराम 2. गवरीदेवी पत्नी रामूराम 3. जेताराम पुत्र रामूराम 4. साजनराम पुत्र गोकलराम (निवासी गोपासरिया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जोधपुर 3. भू.अभि.नि. माण्डियाई कलां, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 4. पटवारी माण्डियाई कलां, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

उपस्थिति –
1. श्री अणदाराम बेनीवाल वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

राजस्व अपील संख्या 388/2024

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. रूपाराम पुत्र जावंताराम 2. अचलाराम पुत्र जावंताराम 3. बालाराम पुत्र सोनाराम 4. खेमाराम पुत्र बुधाराम 5. ओमाराम पुत्र बुधाराम 6. रेवतराम पुत्र बुधाराम 7. साजनराम पुत्र गोकलराम 8. भीयाराम पुत्र गोकलराम 9. आईदानराम पुत्र रामुराम 10. जेताराम पुत्र रामुराम 11. गवरी पत्नी रामुराम (जाति जाट, निवासी गोपासरिया, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर)		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर 2. उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जोधपुर

उपस्थित–
1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

राजस्व अपील संख्या 393/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मूलाराम पुत्र चोलाराम 2. रतनाराम पुत्र चोलाराम 3. हुकमाराम पुत्र चोलाराम 4. हेमाराम पुत्र चोलाराम (जाति जाट, निवासी गोपासरिया,		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर 2. ग्राम पंचायत गोपासरिया जरिये ग्राम विकास अधिकारी, गोपासरिया, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

माण्डियाकलां, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर)

उपस्थिति –

1. श्री सोनाराम चौधरी वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

राजस्व अपील्स अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर) प्रकरण संख्या 53/2024 दिनांक 02.07.2024

निर्णय

दिनांक 12.03.2026

उपरोक्त तीनों अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से तीनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

प्रस्तुत अपील प्रकरणों के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प धोलियानगर में तहसीलदार तिंवरी द्वारा ग्राम गोपासरिया में कदीमी रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु शिविर प्रभारी–उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष में ग्राम गोपासरिया से नेवरा जाने वाली मुख्य डामर रोड से गलाबाबा मंदिर तक मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 53/2024 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2024 द्वारा ग्राम गोपासरिया के खसरा नम्बर 110/2, 110/4, 114, 113, 112, 101, 99, 100, 97 की कुल रकबा भूमि में से रास्ते में उपयोग आ रही भूमि के उल्लेखित रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शें में संलग्न नक्शें एवं परिशिष्ट ए में वर्णितानुसार अंकन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पृथक–पृथक उक्त तीन अपीलें अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपीलों का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलांट्स वादग्रस्त खसरा नम्बर 110/2 व 110/4, 93, 101, 112, 113 के खातेदार काश्तकार है। मौके पर किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

प्रकार का रास्ता विद्यमान नही हैं। अपीलाधीन आदेश संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अथवा उनकी सहमति के बिना पारित कर दिया गया है। जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नही मिला। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार के प्रस्ताव पर पटवारी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। पटवारी रिपोर्ट कब मुर्तिब की गई, किस दिनांक को प्रेषित की गई, आदेश में अंकित नही है। तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया। मौका फर्द ग्रा0पं0 गोपासरिया के प्रस्ताव पर तैयार की गई है, जो पूर्णतया गलत है।

अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि में से खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का पारित कर दिया गया है। तहसीलदार तिंवरी द्वारा रास्ते का प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प धौलियानगर में प्रस्तुत किया गया था, जिसका निस्तारण कैम्प कोर्ट में नही किया गया है। ग्रा0पं0 गोपासरिया द्वारा दिनांक 15.12.2021 को अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.2024 को पारित किया गया है। रास्ते के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में उपलब्ध प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। अपीलाधीन आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.16 का हवाला दिया गया है, जबकि उक्त परिपत्र हस्तगत प्रकरण में लागू नही होता है, किसी खातेदार द्वारा रास्ते की मांग नही की गई है। यदि किसी खातेदार को रास्ते की आवश्यकता है तो वह अन्तर्गत धारा 251क आरटी एक्ट के तहत सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को बिना मांग व बिना सुनवाई का अवसर दिये खातेदारी कृषि भूमि में से रास्ते का आदेश पारित करने का अधिकार नही है। उक्त समस्त कार्यवाही प्रभावशाली व्यक्तियों के दवाब में गरीब काश्तकारों को परेशान करने की नियत से की गई है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.9.21 के अनुसर मौके पर स्थायी रूप से चालू, लेकिन राजस्व रेकर्ड में अंकन से शेष कदिमी रास्तों को संबंधित खातेदार की खातेदारी में रखते हुए गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्रों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। ख0नं0 110/2 व 110/4 के चारों तरफ तारबंदी कर गेट पर लॉक लगा हुआ है। मौका फर्द पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है और न ही उनके विरूद्ध हस्ताक्षर नही करने की टिप्पणी की गई है, जिससे साबित है कि उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारान की गैर मौजूदगी में बिना मौका निरीक्षण किए तैयार की गई है। उक्त तथाकथित मौका फर्द के आधार पर तहसीलदार तिंवरी द्वारा दिनांक 01.07.24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 02.7.24 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अर्थात मौका रिपोर्ट मंगवाने या अपीलांट की सुनवाई

हेतु नोटिस जारी करने का प्रश्न ही नही है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का खसरा दो भागों में विभक्त हो गया है। अतः अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष की सुनवाई एवं उनकी उपस्थिति में मौका जांच करवाकर, वास्तविक मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित कराने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उक्त प्रस्ताव ग्रा0पं0 गोपासरिया के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 15.12.21 के क्रम में मौके पर चालू कदिमी रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार तिंवरी के प्रस्ताव व उसके संलग्न नजरी नक्शे के आधार पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया तथा मौका फर्द में दिनांक अंकित नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान तहसीलदार तिंवरी बनाम ग्रा0पं0 गोपासरिया वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.07.24 को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों/सह–खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12-3-26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/3/26

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर